# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली (जयपुर)



पीठासीन अधिकारी :– जगदीश आर्य
आर.ए.एस

अपील संख्या :– 43/2021

1. मुकेश पुत्र हरिराम
2. राजेश पुत्र हरिराम
3. रामस्वरूप पुत्र हरिराम
4. हंसराज पुत्रान् हरिराम
5. प्रभाती पत्नी हरिराम
   समस्त जातियान् गुर्जर निवासीयान् ग्राम अमाई तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राज.

रेस्पोडेन्ट

**अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 39 दिनांक 13/10/88 द्वारा तहसीलदार कोटपूतली वाके ग्राम अमाई**

## निर्णय

दिनांक 25-11-2021

अपीलान्ट उपरोक्त नामान्तरकरण संख्या 39 दिनांक 13/10/88 स्वीकार द्वारा तहसीलदार कोटपूतली से व्यथित होकर उक्त नामा. के विरूद्व जरिये वकील अपील पेश की है। प्रस्तुत की गयी अपील में अपीलान्ट द्वारा निम्न तथ्य बिन्दुवार पेश किये हैं :–

1. यह है कि साबिक खसरा नम्बर 293 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा वाके मौजा अमाई तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान को अपीलान्ट के पिता व पति स्व. हरिराम ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 30/6/1983 को खरीद की थी तथा खरीद के बाद से लगातार हरिराम उक्त आराजी पर काबिज काश्त रहा तथा उसकी मृत्यु के बाद अपीलान्ट बतौर खातेदार उक्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है आज भी मौके पर काबिज है।
2. यह है कि दौराने सैटलमेन्ट उक्त साबिक खसरा नम्बर 293 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा के हाल आराजी खसरा नम्बर 554/0.42 व 537/0.08 वाके मौजा अमाई तहसील कोटपूतली जिला जयपुर बने हैं।
3. यह है कि अपीलान्ट के पिता व पति की खरीदशुदा भूमि साबिक खसरा नम्बर 293 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा से बने हाल खसरा नम्बर 554/0.42 व 537/0.08 वाके मौजा अमाई तहसील कोटपूतली का नामान्तरकरण अपीलान्ट के नाम तहसीलदार दर्ज करते समय केवल मात्र 554/0.42 हैक्टर भूमि का ही नामा. दर्ज कर दिया, जबकि उक्त नामा. में अपीलान्ट का नाम उक्त नामा. में ख.नं. 537/0.8 है0 भी दर्ज करना चाहिए था। तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का से साजबाज कर राजस्व रिकॉर्ड की अनदेखी करते हुये मनमानी रूप से केवल मात्र 554 वाके अमाई का ही उक्त नामा. में इन्द्राजात् किया जो अपीलान्ट के अधिकारों के विरूद्व है।
4. यह है कि अपीलान्ट को गत सप्ताह अपनी भूमि पर लोन वास्ते हल्का पटवारी से अपने कागजात् जमाबंदी की नकल ली तो अपीलान्ट को नामा.सं. 39 दिनांक 13/10/88 के बाबत जानकारी हुयी, जिस पर अपीलानट ने नामा.सं. 39 की नकल

प्राप्त कर बिना किसी देरी के माननीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की थी है जिसकी सफलता की पूरी-पुरी आशा है फिर भी अपील पेश करने में हुयी देरी माफी के लिए अलग से प्रार्थना-पत्र दफा-5 मियाद अधिनियम पेश किया जा रहा है।

5. यह है कि अपील श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को है जो उचित कोर्ट फीस पर पेश है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलाधीन नामा.सं. 39 वाके ग्राम अमाई दिनांक 13/10/1988 द्वारा तहसीलदार कोटपूतली को निरस्त फरमाया जाकर आराजी ख.नं. 537/0.08 वाके मौजा अमाई तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान के राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्ट का नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

6. अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील अपील पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता करायी गयी। रिपोर्ट समायत पायी जाने पर रेस्पोडेन्ट को तल्बी हेतु सम्मन नोटिस जारी किये गये बाद तामील होने पर पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार कोटपूतली ने जवाब पेश किया जो संलग्न पत्रावली है।

7. प्रकरण में प्रस्तुत हुआ जवाब में वर्णित तथ्य इस प्रकार है कि हरिराम पुत्र रामनाथ कौम गुर्जर ने विक्रय-पत्र 04/7/1983 को साबिक ख.नं. 293 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा क्रय की गयी थी । मुताबिक मिलान क्षेत्रफल से साबिक ख.नं. 293 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा के हाल ख.नं. 554/0.42, 537/0.08 बने हैं। उक्त नामा.सं. 39 मुताबिक विक्रय-पत्र 04/7/1983 के आधार पर भरा गया है। नामान्तरकरण दर्ज करते समय केवल ख.नं. 554/0.42 ही अंकित किया है जबकि मिलान क्षेत्रफल से ख.नं. 554, 537 बने हैं।

8. बहस सुनी गयी। प्रस्तुत बहस में वकील अपीलान्ट का अभिकथन है कि अपीलान्ट के पिता व पति हरिराम द्वारा साबिक ख.नं. 293 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा वाके मौजा अमाई तहसील कोटपूतली की भूमि जरिये विक्रय-पत्र से खरीद की थी दौरान सैटलमेन्ट साबिक ख.नं. 293 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 554/0.42 व 537/0.08 वाके अमाई तहसील कोटपूतली जिला जयपुर बने हैं। तहसीलदार कोटपूतली द्वारा पटवारी हल्का से साजबाज कर विक्रय-पत्र का नामा.सं. 39 दिनांक 13/10/88 को स्वीकार किया है जिसमें केवल मात्र 554/0.42 है0 ख.नं. ही अंकित किया है। साबिक ख.नं. 293 से बना एक और खसरा नम्बर 537/0.08 है0 का अंकन प्रश्नगत नामा. में दर्ज नहीं किया गया जो कानूनी रूप से अपीलान्ट के अधिकारों के विपरीत है। उक्त नामा. की जानकारी पटवारी हल्का से लोन वास्ते राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी की नकल ली तो अपीलान्ट को उक्त नामा. की जानकारी हुयी, जिस पर उक्त नामा.सं. 39 की नकल प्राप्त श्रीमान् न्यायालय के समक्ष अपील पेश की है। मियाद बाबत अपील के साथ दफा-5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र संलग्न किया है। तहसीलदार द्वारा विक्रय-पत्र की पूर्ण जाँच किये बिना विक्रय-पत्र की अनदेखी कर उक्त प्रश्नगत नामा.सं. 39 दिनांक 13/10/1988 को स्वीकार किया है, जबकि मुताबिक विक्रय-पत्र के आधार पर साबिक खसरा नम्बर से बने सभी हाल खसरा नम्बरान् को उक्त नामा. में अपीलान्ट के नाम दर्ज करना चाहिए था। इसलिए उक्त नामा. खारिज योग्य है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर आ.ख.नं. 537/0.08 है0 वाके अमाई तहसील कोटपूतली राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्ट का नाम दर्ज करावें।

9. बहस पैरोकार सुनी गयी। पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत बहस में प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराया गया कि विक्रय-पत्र से बेचान ख.नं. 293 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा का हुआ है, जिसके हाल ख.नं. 554 व 537 बने हैं। नामा.सं. 39 मुताबकि विक्रय-पत्र का दर्ज करते समय केवल ख.नं. 554/0.42 है0 का ही अंकन किया है, जबकि साबिक ख.नं. 293 से हाल ख.नं. 554 व 537 बने हैं। विक्रय-पत्र अनुसार अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना न्याय संगत है।

10. बहस उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड साक्ष्य व सबूतों का अवलोकन किया तथा उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तो पाया कि

जिला कलक्टर

नामा.सं. 39 वाके मौजा अमाई तहसील कोटपूतली जिला जयपुर का हरिराम पुत्र रामनाथ जाति गुर्जर जरिये विक्रय–पत्र से आ.ख.नं. 554/0.42 है0 का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना पाया गया। वकील अपीलान्ट ने प्रस्तुत बहस में जाहिर किया है कि अपीलान्ट के पिता व पति ने साबिक ख.नं. 293 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा वाके अमाई तहसील कोटपूतली की भूमि विक्रय–पत्र से 30/6/1983 को खरीद की थी। खरीद के बाद हरिराम काबिज काश्त रहा तथा उनकी मृत्यु के बाद अपीलान्टस् काबिज काश्त करते चले आ रहे है। उक्त साबिक ख.नं. 293 से हाल ख.नं. 554 व 537 बने हैं। उक्त विक्रय–पत्र से हाल आ.ख.नं. 554/0.42 है0का ही राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हुआ है। हाल खसरा नम्बर 537/0.08 है0 का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं हुआ है, जबकि उपरोक्त हाल दोनो ख.नं. 554 व 537 साबिक ख.नं. 293 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा से बने हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने विक्रय–पत्र की बिना जांच किये तथा अनदेखी कर उक्त नामा.सं. 39 स्वीकार किया है जो अपास्त किया जाने योग्य है तथा अपीलान्ट के नाम राजस्व रिकॉर्ड में साबिक खसरा नम्बर 293 से बने हाल ख.नं. 554 व 537 का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें।

चूँकि पत्रावली के अवलोकन करने से साबिक ख.नं. 293 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा मुताबिक विक्रय–पत्र 30/6/1983 को अपीलान्टस् के पिता व पति ने खरीद किया था, जिसके हाल ख.नं. 554 व 537 वाके अमाई तहसील कोटपूतली बने हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नामा.सं. 93 में विक्रय–पत्र से केवल ख.नं. 554/0.42 है0 का ही राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हुआ है। ख.नं. 537/0.08 का राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं हुआ, जबकि साबिक ख.नं. 293 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा से उपरोक्त दोनों हाल ख.नं. 554 व 537 बने हैं। तहसीलदार कोटपूतली को मुताबिक विक्रय–पत्र आ.ख.नं. 537/0.08 वाके अमाई का भी राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करना चाहिए था, जो उक्त नामा. में दर्ज नहीं है। इसलिए उक्त नामा.सं. 39 स्वीकार द्वारा तहसीलदार कोटपूतली 13/0/1988 को अपास्त किया जाना उचित प्रतीत होता है तथा अपीन्ट की अपील स्वीकार किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

11. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामा.सं. 39 स्वीकार द्वारा तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर दिनांक 13/10/1988 को अपास्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है तथा हाल ख.नं. 537/0.08 है0 वाके अमाई तहसील कोटपूतली जिला जयपुर का राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्टस् का नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

12. निर्णय आज दिनांक 25.11.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)